ग्रामीण महिला विकास संस्थान

GMVS

वार्षिक प्रतिवेदन 2012–13

विकास की कतिपय झलकियाँ

राष्ट्रीय स्तर नई दिल्ली में किरण बेदी द्वारा सचिव शंकर सिंह रावत को सम्मानित करते हुए।

राष्ट्रीय स्तर बैंगलोर में मदर टेरेसा अवार्ड से सचिव शंकर सिंह रावत को सम्मानित करते हुए।

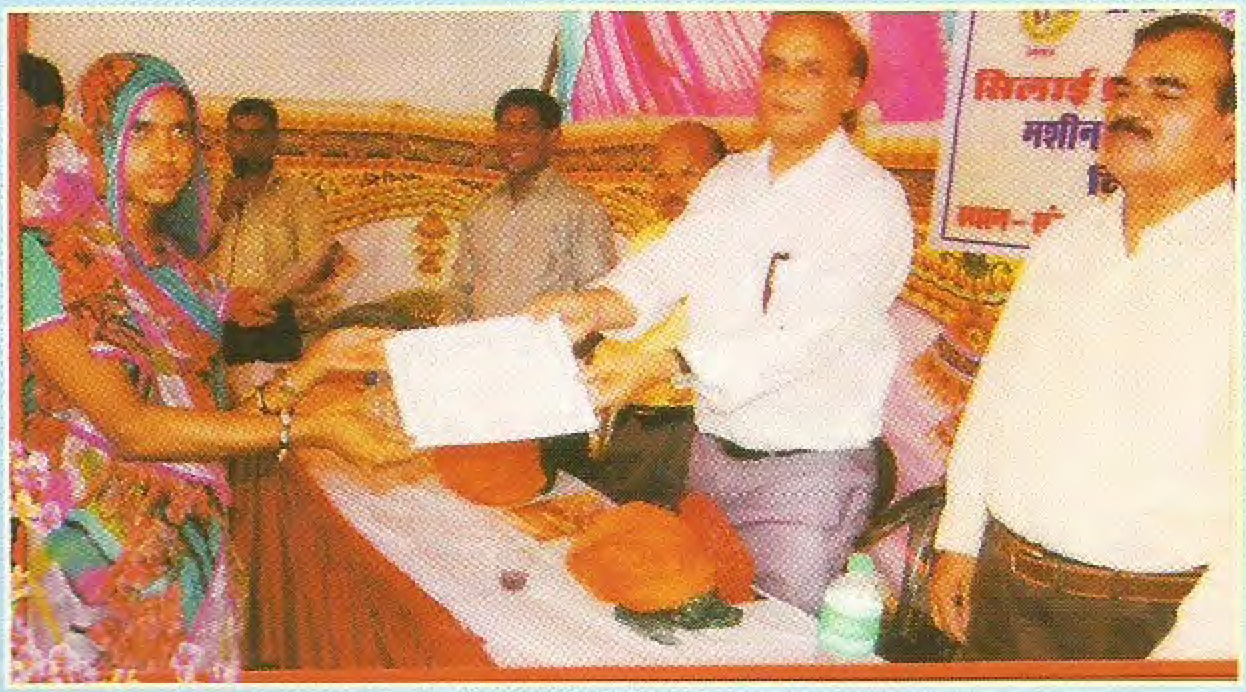

द हंस फाउण्डेशन बोर्ड दिल्ली के वित्तीय सहयोग से सिलाई प्रशिक्षार्थी को नाबार्ड के सुधीर शर्मा द्वारा प्रमाण पत्र देते हुए

द हंस फाउण्डेशन नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से जल प्रबन्धन परियोजना दांता में संचालित कार्यक्रम

बकरी पालन आधारित आजीविका संवर्धन परियोजना के तहत पशु सखी को प्रशिक्षण देते हुए।

8 मार्च, 2013 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्बोधित करते हुए श्री सुधीर शर्मा, डी. डी. एम. नाबार्ड, अजमेर

FVTRS बैंगलौर के वित्तीय सहयोग से फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षणार्थी को डॉ गिरीशनारायण माथुर मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर द्वारा प्रमाण पत्र देते हुए।

द हंस फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से सिलाई प्रशिक्षण समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर के डॉ गिरीशनारायण माथुर

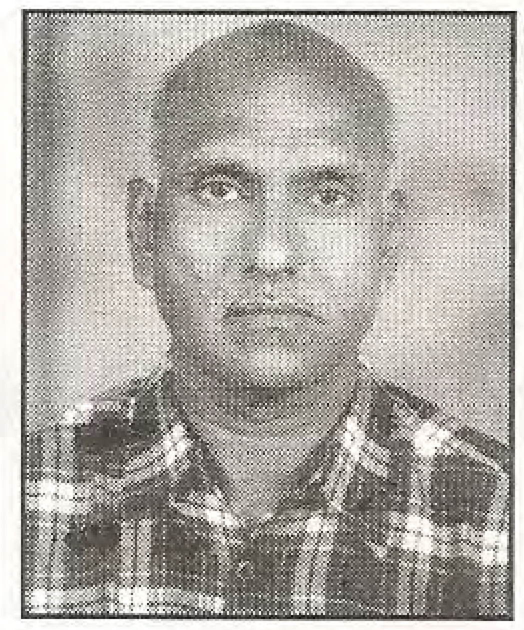

अध्यक्षीय सम्बोधन

हम वार्षिक प्रतिवेदन को आपके सामने प्रस्तुत कर बेहद आनन्दित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर पिछले 16वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र क समुदाय के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इन वर्षों में संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 25,000 लोगों की जीवन शैली तथा स्तर में परिवर्तन कर चुका है, जिसमें मुख्यत: उनकी क्षमताओं में परिवर्तन कर रोज़गार से जोड़ना है। विकास की यह यात्रा शुरूआत से ही एक बहुत बड़ा संघर्ष है और यह संघर्ष आज भी विभिन्न रूपों तथा माध्यमों में जारी है। संगठन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में हुए परिवर्तन समय-समय पर विभिन्न आकलनों, प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रकाशित किये गये हैं।

संस्थान द्वारा अजमेर ज़िले की पाँच पंचायत समितियों- श्रीनगर, भिनाय, सिलोरा, पीसांगन तथा केकड़ी के 300 गांवों में किये गये कार्यों का बिम्ब यह प्रतिवेदन है।

संस्थान की कार्य करने की एक साधारण तथा कारगर युक्ति है- लोगों को संगठित कर उन्हें संगठन में ही शक्ति है समझाना। कोई भी व्यक्ति अपने आप में सम्पूर्ण नहीं होता, उसमें अच्छाई तथा बुराई या कमियाँ दोनों होती हैं, लेकिन संगठन के द्वारा इन कमियों को दूसरों की अच्छाई के साथ कम प्रभावी किया जा सकता है। संस्थान ग्रामीण समुदायों में स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान क्लब, क्लस्टर तथा फैडरेशन आदि का संरचनात्मक ढंग से विकास कार्य कर रहा है। ग्रामीण विकास में परिवर्तन के लिए संगठन में शक्ति युक्ति सफल तथा सहायक सिद्ध हो रही है तथा ग्रामीण समुदाय के लोग भी इसकी महत्ता को समझ गये हैं।

संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी मेहनत, लगन तथा कठिन प्रयासों के फलस्वरूप संस्थान अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है।

संस्थान सभी सहभागियों, डोनर, शुभचिन्तक तथा दोस्तों का भी हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त रकता है, जिनके सहयोग, सहायता तथा उत्साह से संस्थान को इस स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आगे भी यही सहयोग तथा मार्ग-दर्शन संस्थान को प्राप्त होता रहेगा।

(अनिल कुमार माथुर)

अध्यक्ष

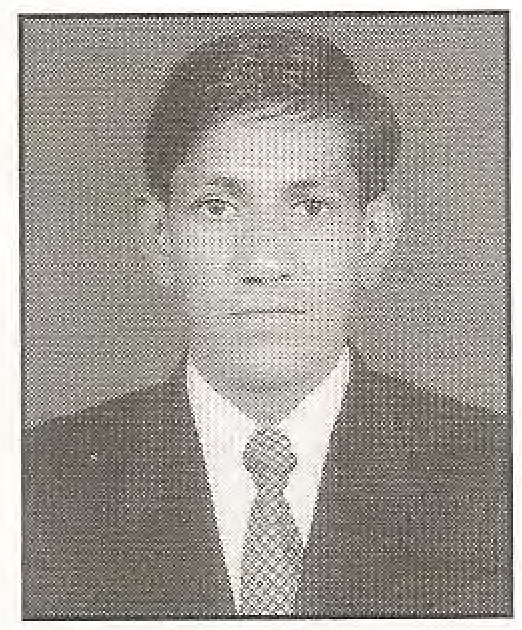

सचिव की कलम से .....

किसी देश का विकास उस देश के नवयुवकों-नवयुवतियों के विचार, मेहनत से जुड़ा होता है। नवयुवकों-नवयुवतियों में ऐसे गुणों का विकास जो देश व समाज की प्रगति में सहायक हो, का सर्जन परिवार रूपी संस्था में सबसे जिम्मेदार सदस्य माँ के द्वारा होता है अर्थात् महिला। कहा भी जाता है अगर एक महिला या लड़की शिक्षित हो तो वह दो परिवारों को आबाद कर सकती है। ऐसे ही विचारों तथा उद्देश्यों के साथ हम समाज में परिवर्तन लाने हेतु प्रयासरत हैं। समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक महिला आज के समय में सबसे पिछड़ा हुआ है जो आज के आधुनिक तथा तकनीकी युग की बहुत बड़ी विडम्बना है। संस्था महिलाओं के साथ कार्य कर रही हैं ताकि महिला अपना विकास करे और फिर परिवार तथा समाज का विकास हो सके।

महिला सशक्तिकरण एक दीर्घकालीन उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति की गति धीमी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कुछ अल्पकालीन उद्देश्यों की आवश्यक है, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियाँ एवं सामाजिक बुराईयाँ तथा समस्यायें जैसे अकाल, बाल विवाह, बाल श्रम, गरीबी, दहेज प्रथा, बालिका भ्रूण हत्या, जागरूकता का अभाव, नशाखोरी, उन्नत तकनीक का अभाव, चिकित्सा सुविधा का अभाव, बेरोज़गारी, शिक्षा के स्तर में कमी आदि प्रमुख हैं। इसी सब अल्पकालीन उद्देश्यों को पूरा करके महिला सशक्तिकरण के दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है।

इन समस्याओं को समाप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की विशेष भूमिका हो सकती है, संस्थान अपनी इस भूमिका को बखूबी तरीके से निभाने हेतु प्रयासरत है। संस्थान को हर समय सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं का आर्थिक, व्यक्तिगत सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, उसके लिए संस्थान तहेदिल से सबका आभार व्यक्त करती है और करती रहेगी।

संस्थान के कार्यकर्ताओं की सच्ची मेहनत, लगन और परिश्रम से ही संस्थान प्रभावी कार्य कर सफलता की ऊंचाईयों को छू रही है।

(शंकर सिंह रावत)

सचिव

ग्रामीण महिला विकास संस्थान - बूबानी, अजमेर (राज.)

Gramin Mahila Vikas Sansthan (GMVS)-Bubani, Ajmer (Raj.)

वार्षिक प्रतिवेदन : वर्ष 2012-2013

पृष्ठभूमि (Background)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान मानव समाज विषयक उद्देश्य विशेष के लिए गठित स्वैच्छिक संगठन है , जो वृहद् स्तर पर ग्रामीण समुदाय के साथ उनके सामाजिक सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए कार्य कर रही है। संस्था विविध और व्यापक स्तर पर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे आदि पर 1997 से कार्यक्रम संचालित कर रहा है । वर्तमान में संस्थान अजमेर ज़िले की श्रीनगर, सिलोरा , भिनाय पीसांगन और केकडी पंचायत समिति के 400 गांवों में कार्यरत है ।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान, राजस्थान संस्था पंजीकरण सोसायटी अधिनियम 1958की धारा 28के तहत एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए व 80-जी के तहत तथा एफ.सी.आर.ए. एक्ट 1976के अधीन पंजीकृत है ।

विज़न (Vision)

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल, रोज़गार के विकल्प उपलब्ध करना ।

मिशन (Mission)

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा हेतु विद्यालयों का निर्माण, टीकाकरण व स्वास्थ्य जानकारी द्वारा बेहतर स्वास्थ्य, पौधारोपण के प्रति जागरुकता व देखभाव व पर्यावरण संरक्षण ।

संस्था के उद्देश्य (Objectives)

- समस्याग्रस्त गाँवों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने में ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करना ।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करना एवं विशेषतोर से महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाना ।
- महिला विकास व सशक्तिकरण में ग्रामीण महिलाओं की रुचि पैदा करना तथा महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना ।
- किसानों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी देना एवं कृषि के लिए प्रेरित करना ।
- नरेगा के लिए ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध करवा के लोगों को जागरुक करना ।

- ग्रामीण लोगों का बीमा से जुड़ाव कर जोखिम कम करना।
- बालश्रम रोकथाम के लिए लोगों को जागरुक करना।
- नवयुवकों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए जागरुक करना।
- ग्रामीणों को पशुपालन के लिए प्रेरित करना।
- बेहतर शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना।
- मृदा संरक्षण के उपाय के लिए ग्रामीणों को जानकारी देना व नई-नई तकनीकों का प्रयोग करना।
- महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों की जागरुकता हेतु बैठकों का आयोजन करना।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों के महत्व के प्रति लोगों को जागरुक करना।
- ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार ऋण प्राप्त करवाना।
- संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों को प्रचारित करना किताबों का मुद्रण एवं प्रकाशन तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।

ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा गरीबी की समाप्ति

Addressing for Poverty among Rural Women through Technical Vocational Training (Stitching Training Centre)

पृष्ठभूमि

द हंस फाउन्डेशन, नई दिल्ली व रूरल इण्डिया सर्पोटिंग ट्रस्ट, यू.एस.ए. के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर द्वारा अजमेर जिले के पंचायत समिति भिनाय, सिलोरा व श्रीनगर में कार्यक्रम - ''ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा गरीबी की समाप्ति'' के तहत छः माह निःशुल्क सिलाई केन्द्रों का संचालन किया गया। संस्थान द्वारा 5 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया गया जिससे 50 महिलायें लाभान्वित हो रही हैं। यह परियोजना अक्टूबर 2012 से शुरू की गई जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को व्यवासायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार से जोड़ना है। द हंस फाउण्डेशन के वित्तिय सहयोग से संचालित इस परियोजना से महिलाओं का जुड़ाव महत्वपूर्ण रहा है। जिसमें सिलाई सिखने की लगन तथा मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। संस्थान उनके लिए बाजार की व्यवस्था करके उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में इस प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार हो सके।

विस्तृत विवरण:-

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गाँव	समय अवधि	सहभागी
1.	श्रीनगर	गेगल	दांता	6माह	10
2.	श्रीनगर	बूबानी	बूबानी	6माह	10
3.	सिलोरा	रलावता	रलावता	6माह	10
4.	भिनाय	बुबकिया	खायडा	6माह	10
5.	भिनाय	बुबकिया	सोलकलां	6माह	10
				कुल सहभागी	**50**

कार्यक्रम के उद्देश्य:-

- महिलाओं की आय वृद्धि कर स्वावलम्बी बनाना।
- सिलाई कार्य में महिलाओं को दक्ष बनाना।
- महिलाओं की आयसर्जनात्मक गतिविधियों में रूचि उत्पन्न करना।
- आयसर्जन गतिविधियों को ग्रामीण समुदाय में सामान्य बनाना ताकि गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।
- सामाजिक पहचान को स्थापित करने हेतु ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं व लड़कियों को सशक्त कर उनके सामाजिक स्तर में बदलाव करना।
- स्वयं सहायता तथा स्वयं रोजगार को बढ़ावा देना।
- लोगों को पारम्परिक कौशल, शिल्प, खेती की खोज के लिए प्रेरित करने के लिए प्रदर्शन करना जो कि स्त्रोत हैं आजीविका वर्धन का।
- क्षमता वर्धन और आयवर्धन के द्वारा व्यवासिक प्रशिक्षण करवाना।
- महिला स्वयं सहायता समूह की पहुँच और व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाना।

रणनीति:-

- जागरूक व रूचिकर महिलाओं का समूह में चयन करना।
- महिला की सुविधानुसार समय चयन करना।
- प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देना।
- समय-समय पर निरीक्षण करना।
- आवश्यक दिशा-निर्देश देना।

उपलब्धियाँ:-

- स्थानीय स्तर पर आय सर्जन के स्त्रोतों की प्राप्ति।
- सीखने के बेहतर तरीकों के कारण सीखने में आसानी।

- महिलाओं की आय में वृद्धि ताकि उनकी प्रगति तथा स्थिति में सुधार हो सके।
- आत्म-विश्वास में बढ़ोतरी।
- गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी।
- महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्तर पर सुधार।
- स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार की प्राप्ति।

प्रत्येक सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थानीय स्तर पर छः माही सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक केन्द्र पर 10 सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाई गई। तथा महिलाओं को विभिन्न तरह का सिलाई कार्य सिखाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की उपस्थित भी दर्ज की गई। सिलाई हेतु संस्थान द्वारा कपड़ा उपलब्ध करवाया गया। महिलाओं द्वारा सीखे गये कार्य की प्रदशर्नी भी लगाई गई। प्रशिक्षणकर्त्ता का अन्य सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण भी करवाया जाता है ताकि वे अन्य महिलाओं से सीख सकें। प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली प्रत्येक महिला को सिलाई मशीन तथा प्रमाण-पत्र निःशुल्क प्रदान किये जायेंगे।

दांता गाँव में जल प्रबन्धन परियोजना

In Danta Village Water Conservation Planing Programme

पृष्ठभूमि

द हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली व रूरल इण्डिया सर्पोगि ट्रस्ट, यू.एस.ए. के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर द्वारा अजमेर जिले की ग्राम पंचायत गेगल के दांता ग्राम में जल प्रबन्धन परियोजना, अक्टूबर 2012 से संचालित की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पीने का पानी उपलब्ध करवाना है। यह परियोजना उस गाँव में शुरू की गई जहां पीने के पानी उपलब्ध नहीं था। क्योंकि दांता ग्राम में पिछले 3-4 वर्षो से निरन्तर पानी पीने की भंयकर समस्या उत्पन्न हो रही थी। दांता गाँव के आस-पास औद्योगिक क्षेत्र बन जाने के कारण कुएँ, हैंडपम्प, तालाब, नाड़ी इत्यादि में पानी सुख गया है। इसलिए ग्रामवासियों को स्वच्छ पीने का पानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो पा रहा है। एक टेंकर के 500/- रुपये तक देने पड़ते हैं। संस्थान द्वारा इस गाँव में 8महिला स्वयं सहायता समूह 5 संयुक्त देयता समूह और एक किसान क्लब संचालित किया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए दांता ग्राम में जल प्रबन्धन परियोजना शुरू की गई।

उद्देश्य :-

- गाँव में पीने के पानी उपलब्ध करवाना लोगों की मांग को ध्यान में रखकर।
- पीने के पानी पर खर्च को कम करना।
- काम का दबाव औरतों पर से हटाना जिससे समय की बचत हो और उसमें महत्वपूर्ण कार्य किये जा सकें।
- ग्रामीणों के सहयोग से पानी संरक्षण योजना बनाना, स्त्रोतों को सुनिश्चित करना, प्रबन्ध करना और उपयोग में लेना।

- ग्रामीणों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाना और बीमारियों को कम करना जो गन्दा पानी पीने से होती हैं।
- सार्वजनिक जागरूकता।
- पशुपालन को बढावा देना।
- ग्राम समिति बनाकर लोगों को संगठित करना।

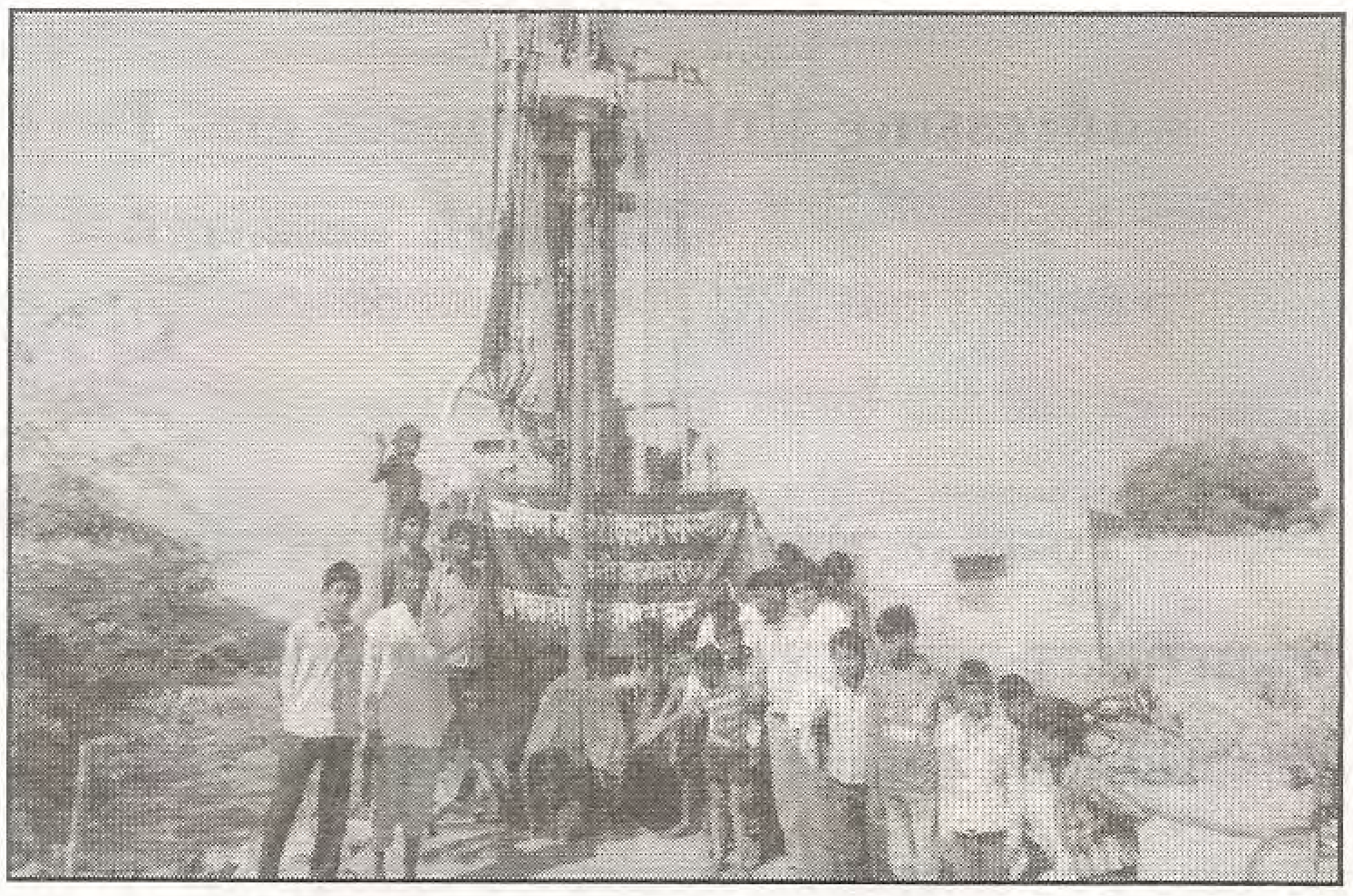

गतिविधि :-

- समुदाय के साथ मिलकर संस्थान प्रबन्धन करना।
- बोरवेल खुदवाना।
- पूरे गाँव में पाईपलाईन की खुदवाई व बिछायी।
- पानी की टंकी का निर्माण।
- जगह-जगह नल लगाना।
- दांता ग्रामवासियों के द्वारा जल प्रबन्धन कमेटी का गठन।
- एक वर्ष बाद सम्पूर्ण परियोजना की जिम्मेदारी समुदाय आधारित होगी।

रणनीतिः-

जल प्रबन्धन परियोजना शुरू करने के लिए संस्थान ने ग्राम सभा में चर्चा की। दांता ग्रामवासियों के साथ बैठक इसके पश्चात् एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के द्वारा ही परियोजना को सुचारू रूप से चलने के लिए जो गतिविधि होगी, उसका कमेटी में प्रस्ताव लिया जायेगा। इस प्रकार से संस्थान जल प्रबन्धन परियोजना दांता ग्राम से शुरू की गई।

उपलब्धि :-

द् हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वित्तिय सहयोग से और संस्थान के द्वारा संचालित की जा रही जल प्रबन्धन परियोजना से आज सम्पूर्ण ग्रामवासियों को सरलता और समय पर पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ-साथ पशुओं के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है।

प्रभावः-

द् हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग और ग्रामीण विकास संस्थान-बूबानी द्वारा संचालित जल प्रबन्धन परियोजना शुरू होने से समस्त दांता ग्रामवासियों में अब पीने का पानी, पशुओं के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल गया है। साथ ही ग्रामवासियों को किसी दूसरी एजेन्सी पर निर्भर न होकर स्वयं के ग्राम को कमेटी के द्वारा पानी की सप्लाई देते हैं। इस प्रकार से जल प्रबन्धन परियोजना से सम्पूर्ण दांता ग्राम वासियों को लाभ मिल रहा है।

ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा गरीबी तथा बेरोजगारी की समाप्ति

Addressing Unemployment and Poverty Among Rural Community Through Vocational Training Ajmer

पृष्ठभूमि

फंक्शनल वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सोसायटी (FVTRS) बंगलोर के वित्तीय सहयोग से **ग्रामीण महिला विकास संस्थान- बूबानी, अजमेर** द्वारा स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों के लिये तीन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्थान तथा वित्तिय सहयोगकर्त्ता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय में गरीबी एवं बेराजगारी को व्यावसासियक प्रशिक्षण के द्वारा समाप्त करना। यह परियोजना विशेषय: 18से 35 साल की स्कूल ड्राप आउट लड़कियों तथा महिलाओं के लिए है। यह परियोजना 1 फरवरी 2013 से संचालित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत तीन प्रशिक्षणों का संचालन किया गया।

क्र. सं.	प्रशिक्षण	बैच	स्थान	समय अवधि	सहभागी
1	सिलाई प्रशिक्षण	1	रलावता	5 माह	15
2	फूड प्रोसेसिंग	1	रलावता	2 माह	15
		1	राठौड़ों की ढाणी	2 माह	15
3	उद्यमिता विकास, एच.आई.वी./एड्स	1	रलावता	5 दिन	30
	जागरुकता, जेण्डर संवेदनशीलता	1	राठौड़ों की ढाणी	5 दिन	15

उद्देश्य :-

- ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व तथा विश्वास विकसित करना।
- आयसर्जन के स्थानीय स्त्रोतों तथा रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- महिला सशक्तिकरण तथा आर्थिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक स्तर में सुधार लाना।
- कौशल पूर्ण सशक्तिकरण के द्वारा गरीबी कम करना।
- सम्पर्कशील और आगे बढ़ने के हूनर को विकसित करना।
- आयसर्जन गतिविधियों को ग्रामीण समुदाय में सामान्य बनाना ताकि गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।
- सामाजिक पहचान को स्थापित करने हेतु ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं व लड़कियों को सशक्त कर उनके सामाजिक स्तर में बदलाव करना।

- स्वयं सहायता समूह तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
- लोगों को पारम्परिक कौशल, शिल्प, खेती की खोज के लिए प्रेरित करने के लिए प्रदर्शन करना जो कि स्त्रोत है आजीविका वर्धन का।

गतिविधि :-

- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव
- प्रशिक्षण की सम्पूर्ण जानकारी।
- सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- फूड प्रोसेसिंग कार्यक्रम।
- उद्यमिता विकास, एच.आई.वी./एड्स जागरूकता, जेंडर संवेदनशीलता करना।

उपलब्धियाँ :-

- स्थानीय स्तर पर आय सर्जन के स्त्रोतों की प्राप्ति।
- सीखने के बेहतर तरीकों के कारण सीखने में आसानी।
- महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्तर पर सुधार।
- ग्रामीण महिलाओं तथा लड़कियों के कौशल में सुधार।
- गरीबी तथा बेरोजगारी में परिवर्तन।
- आय में वृद्धि
- स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार की प्राप्ति।
- आत्म-विश्वास में बढ़ोतरी।
- पारिवारिक स्थिति में सुधार।
- क्षेत्र में आय सृजन गतिविधियों में बढ़ोतरी।

सिलाई प्रशिक्षण :-

ग्रामीण महिला विकास संस्थान- बूबानी, अजमेर द्वारा **फंक्शनल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सोसायटी, (FVTRS) बंगलोर** के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण समुदाय में बेराजगारी तथा गरीबी समाप्त करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम संचालित किया गया। संस्थान द्वारा स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों के लिये सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया। 5 महीने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 लड़कियों का समूह गठित किया गया। इस समूह के प्रशिक्षणार्थियों को सर्वप्रथम सिलाई मशीन तथा उसके भागों की जानकारी दी गई। फिर कपड़ा काटने से लेकर सिलने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया सिखायी जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं के कपड़ों के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति के परिधान सिलना भी सिखाया जायेगा।

प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को फ्रॉक, फैन्सी फ्रॉक, सलवार-कमीज, राजपूती ड्रेस, साधारण लहंगा, अम्ब्रेला कट लहंगा, कुर्ती-कांचली के साथ चुन्नी पर गोटे लगाना भी सिखाया जायेगा।

फूड प्रोसेसिंगः-

फंक्शनल वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सोसायटी, बंगलोर के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान- बूबानी, अजमेर द्वारा गरीबी तथा बेराजगारी को समाप्त करने के लिये उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पापड़, मंगोडी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। फूड प्रोसेसिंग में पापड़ मंगोडी के चयन का कारण स्थानीय स्तर पर सामग्री की आसानी से उपलब्धता, बनाने की सरल विधि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बाजार की उपलब्धता आदि प्रमुख हैं। यह प्रशिक्षण 2 अलग-अलग जगह के समूहों को दिया गया। प्रत्येक समूह में 15 महिलायें हैं। जिससे इस प्रशिक्षण द्वारा कुल 30 महिलायें प्रशिक्षित हुई। प्रशिक्षण का समय 2 माह का है जिसमें महिलाओं को विभिन्न किस्मों तथा अलग-अलग तरीकों से पापड़ तथा मंगोड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा मार्केटिंग भी की जायेगी। प्रशिक्षण समाप्ति पर सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जायेंगे।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कौशल प्रशिक्षण एवं आयवर्द्धन गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

Economic Empowerment of Women Self Help Groups Through Skill Training and Income generate Activity Training Programme)

पृष्ठभूमि

द् हंस फाउण्डेशन - नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण समुदाय की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से आय-वर्द्धन तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण अजमेर जिले की श्रीनगर के 20 गाँवों में संचालित कुल 100 स्वयं सहायता समूहों की 1020 समूह सदस्यों को दिया गया। 1020 समूह सदस्यों को तीन समूह में बाँट कर प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम प्रशिक्षण अक्टूबर 2011 से नवम्बर, 2011 दूसरा प्रशिक्षण दिसम्बर 2011 से अन्तर्गत संचालित स्वयं सहायता समूहों का उद्यमिता के क्षेत्र में विकास करना है जिससे कि स्वयं सहायता समूह की महिलायें स्वयं की शक्ति को पहचान कर सामाजिक कुरीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। स्वयं निर्मित उत्पाद का मार्केट में विक्रय कर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकें।

उद्देश्य :-

- महिलाओं को जीवन निर्वाह हेतु शिक्षा कौशल प्रशिक्षण देना जिससे महिलायें स्वयं अपने अधिकार कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हों।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लघु उद्यमिता के रूप में आयवर्द्धन कौशलों का प्रशिक्षण देना जिससे वे लघु उद्योग चलाने में सक्षम हो सकें तथा सफलता प्राप्त कर सकें।

- महिलाओं में सम्प्रेषण एवं नेतृत्व का विकास करना।
- महिलाओं में मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर उठाने हेतु विभिन्न स्तर पर मंचों का स्थापना करना।
- गरीब तथा पिछडे समुदाय की महिलाओं की आजीविका को बेहतर बनाना ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
- नये स्वयं सहायता समूहों की स्थापना प्रबन्धन तथा पहचान विकसित करने की ओर अग्रसर होना।

रणनीति :-

- परियोजना में महिलाओं के लघु उद्यमी बनने हेतु कौशल प्रशिक्षण के द्वारा महिला शिक्षा, अधिकार, स्वास्थ्य तथा महिलाओं के कानून के मुद्दों के प्रति जाग्रत करना।
- आयवर्द्धन और कौशल प्रशिक्षणों के माध्यम से महिलाओं का संघ बनाकर लघु उद्योग हेतू प्रेरित करना।
- महिलाओं में नेतृत्व की भावना का विकास करने तथा अधिकारों के प्रति आवाज उठाने हेतु मंच प्रदान करना।

गतिविधियाँ :-

1. **प्रथम प्रशिक्षण :- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आयवर्धन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमः** इस गतिविधि के अन्तर्गत **ग्रामीण महिला विकास संस्थान** द्वारा महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन कर ग्रामीण अनपढ़ तथा पिछड़े समुदायों की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्तर में बदलाव लाने का प्रयास किया गया। महिला के खुलापन सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर के दौरान विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान में मुक्त रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया की गयी। महिलाओं के बेहतर प्रबन्धन, क्षमतावर्धन नेतृत्व की भावना को विकसित कर सके मथो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ़ आवाज उठाकर नकारना व रोकना की स्थिति तक लाना, उनकी भूमिका, दायित्व, अधिकारों का जानकारी दी गयी। बालविवाह, दहेज प्रथा, किशोरवस्था में गर्भधारण की बाधाओं, पुरुषों द्वारा शराब सेवन, घरेलू हिंसा, लिंग भेद की रोकथाम व देखभाल आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गयी।

2. **द्वितीय प्रशिक्षणः- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लघु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमः-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **ग्रामीण महिला विकास संस्थान** द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लघु उद्यमी प्रशिक्षण दिया गया ताकि महिलायें स्वयं ही हस्तनिर्मित अपने उत्पादों को मार्केट में विक्रय कर अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकें। जैसेः- ठोस अपशिष्ट प्रदार्थ, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोसटिंग द्वारा खाद बनाना एवं फ्रूड एण्ड फ्रूट प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। इससे महिलाओं में आपस में लघु उद्यम के बारे में समझ विकसित हुई तथा ये लघु उद्योग का उद्देश्य भी समझ गयी। महिलाओं को अपना उत्पाद बेचने पर अधिक से अधिक लाभ हो सके।

3. **तृतीय प्रशिक्षणः- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उत्पाद सम्बन्धी प्रशिक्षणः** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **ग्रामीण महिला विकास संस्थान** द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को विभिन्न जानकारियाँ प्रदान की गयी जैसे - किस तरह के उत्पाद का बिक्री मूल्य निर्भर करता है, उत्पाद की बनावट, पैकेजिंग, गुणवत्ता आदि अगर उत्पाद में ये गुण हों तो उत्पाद को मार्केट में बेचने में आसानी होगी। महिलाओं को उत्पाद उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर बेचने के फायदे व हानियों के बारे में चर्चा की गयी। जिससे की महिलओं का आर्थिक स्तर ऊँचा उठा सके।

उपलब्धियां :-

- स्वयं सहायता समूहों को कौशल युक्त बनाया गया।
- स्वयं सहायता समूहों को आयसर्जन के नये तथा परम्परागत तरीकों से अवगत करवाया गया।
- स्वयं सहायता समूह के आत्मविश्वास, समझ, समूह एकता, नेतृत्व शक्ति, सहयोग, कौशल तथा क्षमतावर्द्धन में बढ़ोतरी की गयी।
- 100 स्वयं सहायता समूहों से जुडी 1020 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- 1020 महिलाओं के कौशलों में वृद्धि प्रशिक्षण द्वारा कर उन्हें रोजगार के नये अवसरों के साथ जोड़ा गया।
- महिलाओं द्वारा लघु उद्यमिता सम्बन्धी कार्य किये गये।
- आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिये स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा प्रबन्धन किया गया जैसे- फूड एण्ड फ्रूट प्रोसेसिंग, हर्बल गाउनिंग एवं वर्मी कम्पोस्टिंग।
- स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन का फ्रेम वर्क प्रदान किया गया।

स्वयं सहायता समूह फेडरेशन का संवर्धन एवं लघुवित्त कार्यक्रम का एकीकरण

(Promotion of Self-Help Group (SHG) Federation and Consolidation of Micro Finance Programme)

पृष्ठभूमि

सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई के वित्तिय सहयोग व सेन्टर फॉर माईक्रोफाइनेन्स, जयपुर के मार्गदर्शन में ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी अजमेर द्वारा महिला सशक्तिकरण और उत्थान के लिए संस्थान ने महिला संगठन बनाया है जिसका नाम **ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, अजमेर** है। यह अजमेर जिले के दो पंचायत समितियों श्रीनगर व सिलोरा के 15 ग्राम पंचायत के 29 गाँवों से 202 महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। महिला फेडरेशन को दो वर्षों से संचालित किया जा रहा है। राजस्थान सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत भी हुआ है। ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, अजमेर के नाम से है। यह कार्यक्रम फरवरी, 2011 से संचालित है।

लक्ष्य :-

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, अजमेर का मुख्य लक्ष्य है जो महिलायें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार और समुदाय की हैं, उनको महिला समूहों से जोड़कर बचत, क्षमतावर्धन और आत्मनिर्भर बनाकर उनमें आत्मविश्वास आ सके और महिलाऐं परिवार व समाज में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो।

गतिविधियाँ :-

उन्नत खेती:- ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता से जुड़े समूहों के सदस्यों के साथ आजीविका वर्धन हेतु कार्य किया गया। इस क्षेत्र में कृषि मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं कृषि कार्य करती हैं। इसलिए फेडरेशन ने 2012 में खरीफ में दो क्लस्टर के 60 किसानों के साथ मूंग की फसल में तकनीकी कृषि का कार्य किया गया था। जिसमें किसानों को खेत की तैयारी से लेकर ग्रेंडिग करने तक के मध्य तकनीकी रूप से खेती करवाई गई थी। जिसमें किसानों को प्रशिक्षित कृषि विशेषक्षों के द्वारा प्रशिक्षण व जानकारी दी गई। मूंग की पैदावार सिलोरा पंचायत समिति में औसतन से कम होती है। इसलिए फेडरेशन ने खरीफ में मूंग की फसल पर उन्नत खेती के लिए दो गाँवों का चयन करके कृषि कार्य किया था।

रबी:- ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन), दांता ने खरीफ के साथ-साथ रबी के मौसम में भी गेहूँ चना, जौ की फसलों का चयन किया गया और औसतन पैदावार से कम होने के कारण फेडरेशन 100 महिला किसानों के साथ रबी में फेडरेशन ने तकनीकी खेती पर कार्य किया है। फेडरेशन से जुड़े सभी समूहों के साथ आगामी समय में फेडरेशन कार्य करना चाहता है। 29 गाँव में 2013-14 में लगभग 1000-1200 महिला किसानों के साथ उन्नत खेती पर फेडरेशन कार्य करने के लिए तैयार है।

आजीविका गतिविधि के लिए अध्ययन - ग्रामीण विकास संस्थान - बूबानी, अजमेर द्वारा संचालित ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन), दांता के सदस्यों की मुख्य आजीविका कृषि है। संस्था द्वारा एक अध्ययन से निकला है कि अजमेर की श्रीनगर व सिलोरा पंचायत समिति से जुड़े समूह सदस्यों की मुख्य आजीविका कृषि और पशुपालन है। पशुपालन में मुख्य रूप से बकरीपालन लोगों के लिए लाभदायक है। खेती में लोगों का रूझान सब्जियों के प्रति अधिक है। कम जमीन होने के कारण इस क्षेत्र के लोग सब्जी ज्यादातर बोते हैं। इस प्रकार से फेडरेशन से जुड़े समूह सदस्यों की आजीविकावर्धन छः फेडरेशन ने एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया हैं, जिसमें बकरी पालन व कृषि कार्य मुख्य है। उस परियोजना प्रस्ताव को सर रतन टाटा ट्रस्ट को भेजा है।

प्रशिक्षणः- ग्रामीण महिला विकास संस्थान (फेडरेशन), दांता से जुड़े समूह सदस्यों में से 30 सदस्यों को छः माह हेतु सिलाई प्रशिक्षण अन्य संस्थाओं के वित्तिय सहयोग से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को छः माह तक निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार से जोडना है। समूह क्लस्टर, फेडरेशन से जुडकर सदस्यों को रोजगार व आत्मनिर्भर बनने में फेडरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के सिलाई प्रशिक्षण के अलावा भी मोमबत्ती, पापड़, मंगोड़ी, आचार बनाने के लिए संस्थान ने 100 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा है।

भ्रमणः- ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता द्वारा समूह के सदस्यों को एक भ्रमण पिडो संस्थान, डूंगरपुर में चार दिवसीय भ्रमण करवाया गया फेडरेशन सदस्यों को समूह बैठक, क्लस्टर बैठक, फेडरेशन बैठक प्रणाली देखी और समझाई गयी। साथ ही पिडो संस्थान किस प्रकार से महिला फेडरेशन को संचालित करने में सहयोग देती है, आदि के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं द्वारा समूह क्लस्टर, फेडरेशन बैठक प्रक्रिया, लोन प्रक्रिया को देखकर समझा गया। फेडरेशन को वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने व सक्षम बनाने के लिए सेवाएं व गुणवत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। फेडरेशन के सदस्यों ने इस भ्रमण के दौरान बहुत कुछ सीखा है।

क्लस्टर आम सभाएँ :- ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, अजमेर के 12 क्लस्टरों की आम सभा का आयोजन किया जाता है। सभी क्लस्टरों के सभी समूहों के सदस्यों को एक स्थान पर एकत्रित करके समूहों का मूल्यांकन किया गया और क्लस्टर में कुछ - कुछ पदाधिकारियों का बदलाव भी किया गया है। आगामी वर्ष में क्लस्टरों के सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की योजना बनाई गई और जो भी क्लस्टर गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन करके उनकी खामियों को दूर करने पर चर्चा की गई थी। इस प्रकार से 2012-2013 में सभी क्लस्टरों की आम सभा की गई थी।

फेडरेशन आम सभाः- ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता, अजमेर की 08 मार्च, 2013 माह में आम सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में सभी 202 समूह के सदस्य एक स्थान पर एकत्रि होकर फेडरेशन की पिछले वर्ष की प्रगति व कार्ययोजना के अनुरूप कार्य हुआ है या नहीं, उसके बारे में जानकारी देना। फेडरेशन के पदाधिकारियों का पुनः चुनाव किया गया था। जिसमें अध्यक्ष सुगनी देवी को बनाया, सचिव

मीरा देवी ही रही और कोषाध्यक्ष लक्ष्मी देवी को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से आम सभा में से आगामी वर्ष की कार्य योजना पर भी चर्चा की और फेडरेशन को सशक्त करने के लिए समूह सदस्यों को, क्लस्टर सदस्यों, फेडरेशन सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों को भी अपनी-अपनी जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। इस प्रकार से फेडरेशन की आम सभा का समापन किया गया है।

अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजनः- ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी और ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन), दांता के द्वारा 8 मार्च 2013 को अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्थान और फेडरेशन ने मिल कर महिला मेला का आयोजन किया गया है। संस्थान और फेडरेशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्षमतावर्धन करना एवम् अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व को समझाना तथा महिलाओं की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में चर्चा करना, महिला विकास के कार्यक्रमों की जानकारी देना या उपलब्ध करवाना था। इस अवसर पर 1300-1500 महिलाऐं उपस्थित हुई थी। महिलाओं ने अपने अनुभवों को एक-दूसरे से बाँटना इत्यादि इस कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियाँ रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान त्रिवेदी (उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़) थे।

उपलब्धिया :-

- फेडरेशन कार्य क्षेत्र में आजीविका गतिविधि के लिए अध्ययन।
- फेडरेशन की 30 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए छः माह सिलाई प्रशिक्षण दिलवाया।
- फेडरेशन से जुड़े चार गाँवों में उन्नत खेती पर रबी और खरीफ फसल पर कार्य किया।
- फेडरेशन से जुड़े सदस्यों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन।

- बैंक से जुड़ कर लोन मेलों का आयोजन किया।
- फेडरेशन से जुड़ी महिलाओं के लिये महिला मेला का आयोजन।
- समूहों के सदस्यों का क्षमतावर्धन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिलवाये गये।
- पशु स्वास्थ्य शिविरों और शिविरों का आयोजन किया गया।
- फेडरेशन सदस्यों की क्षमतावर्धन और समझ बनाने के लिए शैक्षिणिक भ्रमण करवाया।
- फेडरेशन महिलाओं स्वयं मूल्यांकन तथा ऑडिट प्रक्रिया की बनाई।
- फेडरेशन का सामाजिक गतिविधियों में सहयोग व जुडाव।
- फेडरेशन से जुड़े समूहों क्लस्टरों के सदस्यों बीमा के बारे में समझ व जुड़ाव।
- फेडरेशन की महिलाओं की सोच व विचारों से आगामी योजना तैयार की गई।
- फेडरेशन से जुड़े समूह को राजस्थान सरकार का साख दर्पण सॉफ्टवेयर में एन्ट्री करना।

शिक्षा कार्यक्रम
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
National Child Labour Project (NCLP)

1. पृष्ठभूमि

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से गठित **बाल श्रमिक परियोजना अजमेर** के मार्गदर्शन में ग्रामीण महिला विकास संस्थान पिछले 13 वर्षों से बाल श्रम उन्मूलन हेतु बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा तीन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय संचालित है। इसका मुख्य कारण यह है कि अजमेर ज़िले की श्रीनगर पंचायत समिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। अतः अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढाबों, किशनगढ़ के आस-पास के क्षेत्र में संचालित पावरलूम, ईंट भट्टा और खानों में पत्थर तुड़ाई में काम करने भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें इन उद्योगों से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक हो जाता है। यह परियोजना 25 जुलाई, 2000 में क्रियान्वित की गई थी।

अतः आवश्यकता ऐसे बच्चों को वहां से हटाकर इन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी उम्र एवं स्तर के अनुसार आगामी तीन वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराते हुए उच्च कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रही है। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से उनके कौशल का विकास किया जाता है।

2. बाल श्रम कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं, उनका अधिकार शिक्षा प्राप्ति है न कि आजीविका कमाना।

- बाल श्रम समस्या, देश के समक्ष कठिन चुनौती है।
- देश में वयस्क बेरोज़गारों की संख्या एवं कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या लगभग समान है।
- बाल श्रम के बुरे नतीजों के प्रति माता-पिता की अज्ञानता।
- संविधान एवं श्रम कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से श्रम कराने पर ''बालश्रम अधिनियम 1986'' के अनुसार कठोर सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
- अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा दांव पर, उत्पादों के निर्यात में कठिनाई।
- बाल श्रम के परिणाम स्वरूप वयस्क बेरोज़गारी, अशिक्षा और निर्धनता का घातक दुष्चक्र, राष्ट्र की प्रगति पर विपरीत प्रभाव।

3. शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव

संस्थान द्वारा इन बच्चों को विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय में तीन वर्षों तक अध्ययन करवाकर आगामी वर्ष में इन बच्चों के साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरा ध्यान देकर इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है। साथ ही इन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों, प्रशासन एवं परियोजना स्टाफ द्वारा निरन्तर फॉलो-अप किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से सम्पर्क कर उसकी प्रगति उनको अवगत कराना एवं छात्र-छात्रा की नियमित उपस्थिति हेतु चर्चा की जाती है। साथ ही सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों की गतिविधियों पर अध्यापकों की सलाह ली जाती है एवं उपस्थिति व प्रगति का अवलोकन भी किया जाता है। संस्थान द्वारा 1 मई, 2010 से संचालित तीन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन कर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। वर्तमान में विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र /छात्राएं-

क्र. सं.	संचालित विद्यालय	SC			ST			OBC			General			TOTAL		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	मुहामी	6	-	6	-	-	-	21	23	44	-	-	-	27	23	50
2.	नौलखा	3	-	3	-	-	-	17	30	47	-	-	-	20	30	50
3.	बूबानी	1	6	7	-	-	-	15	28	43	-	-	-	16	34	50
	योग	**10**	**6**	**16**	-	-	-	**53**	**81**	**134**	-	-	-	**63**	**87**	**150**

4. गतिविधियाँ :-

व्यवसायिक शिक्षा, स्टाईफण्ड, स्वास्थ्य परीक्षण, मासिक मूल्यांकन, बाल श्रम विरोधी रैलियां, मासिक अभिभावक बैठकें, प्रतिदिन पोषाहार, जन श्री बीमा योजना जुडाव, राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियों का आयोजन, खेल-कूद, दान दाताओं का योगदान।

1. व्यावसायिक शिक्षा:- बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वरोज़गार के प्रति जागरुक कर प्रशिक्षित अध्यापकों

के माध्यम से मुख्यत: सिलाई, कढ़ाई, कुर्सी बुनाई, चारपाई, मिट्टी एवं लकड़ी के खिलौने, चाबी के छल्ले, बांस की टोकरियां, पंक्चर बनाना, ऊनी धागों से बान्दरवाल, स्वेटर, टोपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने, हाथी, ऊँट, तोते, भगवान की मूर्तियाँ, लकड़ी छोटे छोटे चम्मचों की फैन्सी आईटम एवं सिलींग फैन व टेबुलफैन की रिपेयरिंग व इन्हें जलने नये तरीके से बाँधना आदि का रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे बच्चे वयस्क होने पर अपनी आजीविका अपनाते हुए अपने जीवन में सक्षम बन सकें।

2. स्वास्थ्य परीक्षण:- बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का प्रतिमाह नियमित रूप से नज़दीकी उप स्वास्थ्य केन्द्र ए.एन.एम. या सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसके अन्तर्गत बच्चों का वज़न, ऊँचाई, ख़ून की जाँच, आँखों की जाँच, विटामिन ए का घोल, सर्दी जुकाम, बुखार, सिरदर्द, फोडे-फुन्सी आदि की जाँच करके उन्हें दवाईयाँ देकर स्वस्थ बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किए जाते हैं।

3. मासिक अभिभावक बैठकें:- विद्यालय प्रांगण में प्रतिमाह अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा दिलवाने तथा जोखिमपूर्ण कार्य करने से रोकने की जानकारी देते हुए उन्हें बालश्रम कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से अवगत भी करवाया जाता है। इसमें 6वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से पृथक कर शिक्षा की ओर प्रेरित करना तथा यह जानकारी देना कि जोखिमपूर्ण कार्य करवाने से मालिक को 20 हज़ार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।

4. नियमित निरीक्षण:- विद्यालयों का समय-समय पर परियोजना निदेशक, परियोजना फील्ड ऑफ़िसर, संस्थान प्रमुख गठित शिक्षा समिति, सरपंच एवं ग्रामीणों के साथ-साथ अन्य पंचायत समिति स्तर एवं ज़िला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषाहार, अनुशासन एवं मुख्य अध्यापकों के शिक्षण कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

5. मासिक मूल्यांकन:- बाल श्रमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर हर माह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पढ़ाई के प्रति कमजोर बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाता है। साथ ही टी.एल.एम. सामग्री का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को 3 वर्ष में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करवाकर छठी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन को घनघोर अंधेरों से बाहर प्रकाशमान किया जाता है।

6. प्रतिदिन पोषाहार:- बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिदिन मिड-डे मील योजना से साप्ताहिक मैन्यू के आधार पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है।

7. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव:- संस्थान द्वारा जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का बीमा करवाया गया। इसमें 100 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालक प्रीमियम देय है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही इन बच्चों के माता-पिता का भारतीय जीवन बीमा अन्तर्गत समूह बीमा करवाया जाता है,

जिससे किसी के भी साथ अनहोनी घटना होने पर उन्हें आर्थिक लाभ दिया जा सके। इससे बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी सुरक्षित हैं।

8. स्टाइफण्डः- अध्ययनरत बाल श्रमिक विद्यालय के समस्त बच्चों को परियोजना द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 150 रुपये वज़ीफ़ा (स्टाइफण्ड) के रूप में बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में उन बच्चों के नाम का खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। इस प्रकार परियोजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता मिलेगी।

9. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँः- बाल श्रमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ महापुरुषों की जयन्तियाँ, बाल सप्ताह आदि मनाया जाता है। इसके माध्यम से महापुरुषों के जीवन से बच्चों को अवगत करवाया जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जाता है। इससे वह अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें।

10. बाल श्रम विरोधी रैलियाँः- बाल श्रमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों द्वारा ग्राम में समय-समय पर बाल श्रम विरोधी रैलियाँ, पल्स पोलियो रैली, पर्यावरण संरक्षण रैली, आयोडिन नमक सम्बन्धी रैलियाँ निकाली जाती हैं, जिससे सभी ग्रामीणों में शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ायी जाती है जिसमें संस्थान व विद्यालय स्टाफ तथा ग्रामवासियों का पूर्ण योगदान रहता है।

11. खेलकूद गतिविधिः- बाल श्रमिक विद्यालयों में प्रति शनिवार खाने के बाद खेलकूद गतिविधियाँ करवायी जाती हैं। सभी विद्यालयों में वर्ष में दो बार बाल दिवस व राजस्थान दिवस के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जिसमें तीनों विद्यालय के बच्चों को निश्चित स्थान पर एकत्रित कर उन बच्चों के साथ चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, बोरी दौड़, जलेबी दौड़, लड्डू दौड़, मटका दौड़, रुमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लम्बी कूद, कबड्डी, क्रिकेट, रस्सा खींच, खो-खो, फुटबाल आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके साथ-साथ प्रतिवर्ष बाल सप्ताह कार्यक्रम समर कैम्प आदि विद्यालय में मनाया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को उचित इनाम दिया जाता है।

12. दानदाताओं का योगदानः- विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय नौलखा, मुहामी, बूबानी में चल रहे शिक्षा कार्यक्रम में उन बच्चों को शामिल किया गया जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्था के सचिव, शिक्षा समन्वयक व प्रधानाध्यापक के अथक प्रयासों से विद्यालय में अध्यनरत बच्चों के लिए समय-समय पर दानदाताओं के कर कमलों से स्वेटर ड्रेस, दरियां आदि की व्यवस्था करायी गई। जिसमें नौलखा, मुहामी व बूबानी विद्यालय के बच्चों के लिए "माननीय उतरादेवी चेरिटेबल ट्रस्ट एण्ड फाउण्डेशन-पुणे (उतराहाउस) द्वारा सुबह नाश्ता एवं बिस्कुट का पैकेट प्रतिदिन प्रति छात्र, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, स्वेटर, टाई, बेल्ट, ब्लैक बोर्ड, अलमारी, पौषाहार के बर्तन, खेल सामग्री, बडी दरीयाँ, आदि वितरित की गयी जिससे बच्चों में शिक्षण में बहुत बड़ा योगदान रहा। बच्चों को आर्थिक तंगी से राहत मिली।

13. उपलब्धियाँ :-

- बाल श्रम की संख्या में कमी हो।
- बच्चों व अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ना।
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाना।
- परियोजना से संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के अलावा आजीविकावर्धन हेतु प्रशिक्षण में निपुण होना।

14. भागीदारी :-

- बाल श्रमिक परियोजना फील्ड अधिकारियों द्वारा।
- संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों के समस्त स्टाफगणों द्वारा।
- संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों के समस्त बच्चों द्वारा।
- बच्चों के माता-पिता व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा।
- ग्रामवासियों व गणमान्य लोगों द्वारा।

15. बाल श्रम के प्रति संस्थान की भूमिका:- संस्थान का मुख्य उद्देश्य बालकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। लगभग सभी संस्थाएं बालकों के काम करने को शोषण के रूप में समझती हैं तथा बाल मज़दूरी के प्रति संवेदनशील हैं। संस्थान अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाल श्रम प्रथा तथा बाल श्रमिकों के कार्य करने के ख़िलाफ़ समाज में चेतना पैदा कर रही है साथ ही बाल श्रमिक बच्चों के माता-पिता से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सामूहिक रूप से इस समस्या की गम्भीरता के प्रति जागरुक कर बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे हर बच्चा शिक्षित हो।

जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
RISK MATIGATION PROJECT

पृष्ठभूमि-

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर द्वारा सेन्टर फॉर माइक्रो फाइनेन्स के वित्तीय सहयोग से कार्यक्षेत्र में संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य और उनके परिवार को लघु बीमा से जोड़कर उनके जोखिम को कम करना या बीमा कम्पनी पर डालकर ग़रीब परिवारों को सुरक्षित रखने का कार्य संस्थान पिछले 6वर्षों से भारतीय जीवन बीमा से जुड़कर कर रही है। इसके साथ-साथ ग़रीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा गया है। साथ ही जो सदस्य बैंक लोन ले रहे हैं उनका क्रेडिट बीमा भी करवाया जा रहा है। यह परियोजना 2009 से क्रियान्वित है।

उद्देश्य:-

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का जोखिम कम करना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से गरीब परिवारों को जोड़ना है।

गतिविधिः-

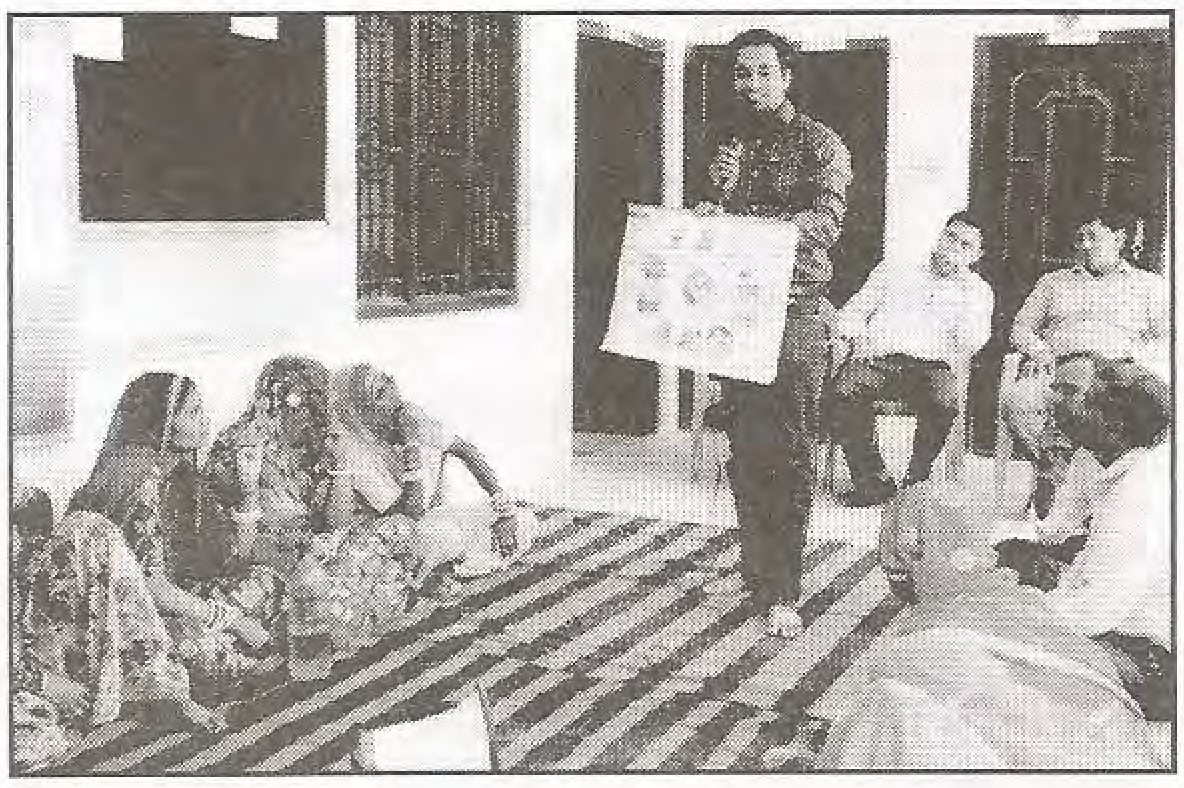

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर और ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन), दांता संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बीमा और जो सदस्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलवाया जा सके।

बीमाः-

संस्थान जिन लोगों के साथ स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब, संयुक्त देयता समूह, सदस्य जो आर्थिक व सामाजिक और अशिक्षित होने के कारण भी समुदाय में पिछड़े जाते हैं उनको जागरूक करना, बीमा हेतु प्रशिक्षण देना, सरकारी योजना के बारे में जानकारी दिलवाना, नुक्कड नाटकों के माध्यम से शिवरों, कैम्प के माध्यम से लोगों को उनके जोखिम के बारे में जानकारी देकर बीमा से जोडना इत्यादि।

सामाजिक सुरक्षा योजनाः-

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर जिले की चार पंचायत समितियाँ श्रीनगर, सिलोरा, पीसांगन व भिनाय के लगभग 250 गाँवों में स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब, संयुक्त देयता समूह (JIG) व किसानों, बकरीपालकों के साथ जुड़कर कार्य कर रही है। ग्रामीण समुदाय में जो लोग सामाजिक सुरक्षा योजना लेने के हकदार हैं। उनको ग्राम पंचायत के साथ तालमेल बैठाकर वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि से जोड़कर योजनाओं से लाभान्वित करना है।

परियोजना प्रभावः-

ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी, अजमेर के द्वारा व सेन्टर फॉर माइक्रो फाइनेन्स के वित्तिय सहयोग से जोखिम न्यूनीकरण परियोजना संचालित होने से ग्रामीण समुदाय विशेषतौर से गरीब व अशिक्षित है, उनको बीमा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव हुआ है।

उपलब्धियाँः-

- ग्रामीण समुदाय को माइक्रोफाइनेन्स तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की जानकारी मिली।
- सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा विकसित हुई।
- सामाजिक सुरक्षा स्कीमों तथा योजनाओं की तरफ ग्रामीण समुदाय के लोगों का रूझान हुआ।
- सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के साथ कम से कम 500 से 750 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा उनके परिवारों का जुडाव।
- कम से कम 1750 सदस्य बीमा के अन्तर्गत नामांकित हुये जो बीमा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- संस्थान की जोखिम न्यूनीकरण के अन्तर्गत समझ विकसित होना।

शिक्षा कार्यक्रम

पुस्तकालय कार्यक्रम (Reading Room Programme)

पृष्ठभूमि :-

संस्थान 2008से रूम टू रीड इण्डिया, जयपुर के वित्तिय सहयोग से अजमेर जिले के भिनाय ब्लॉक के चार शिक्षा संकुल-भिनाय, देवलिया कंला, सिगांवल, बान्दनवाडा के 24 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, भाषा के प्रति समझ विकसित करने, पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करने एवं उनकी प्रतिभाओं को प्रोहत्साहित करने के लिए करायी जाने वाली गतिविधियों, कहानी, कविता, खेल से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ करवायी जाती हैं। पुस्तक लेन-देन में बालमंच का सहयोग व पुस्तकों का नियमित लेन-देन व इन पुस्तकों को पढ़ने हेतु समुदाय को देना व वापस जमा करना।

कार्यक्रम के उद्देश्य :-

- बच्चों की भाषा का विकास करना व विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर शैक्षिण स्तर में अपेक्षित सुधार करना।
- बच्चों में छुपी प्रतिभाओं को पुस्तकालय के माध्यम से उजागर करना।
- बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार कर पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करना।

रणनीति :-

- बाल मंच में बच्चों द्वारा पुस्तक लेन-देन करवाना।
- बच्चों की रचना का प्रकाशन करना।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति के साथ बैठक करना कि बच्चों की गतिविधियों से अवगत करवाना।
- सहजकर्ता व पुस्तकालय प्रभारी, बाल मंच के साथ मासिक बैठक करना।
- सरकार के साथ तालमेल रखना।
- सहजकर्ता व पुस्तकालय प्रभारी, प्रधानाध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- समय-समय पर कार्यक्रम निरीक्षण करना।
- सहजकर्ता शैक्षिणिक भ्रमण।
- कार्यकर्ता को कार्य दिशा-निर्देश समय पर देना।

कार्यक्रम गतिविधियाँ :-

पुस्तकालय स्टेशनरी का प्रबन्धन :

पुस्तकालयों के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए आवश्यक स्टेशनरी, रबड़, पेन्सिल, मार्कर, वाटर कलर इत्यादि सामग्री छ: मासिक उपलब्ध करवाई जिससे बच्चों को विभिन्न गतिविधियों, चित्र-लेखन कार्य में रूचि बढ़ी।

सहजकर्ता प्रशिक्षण :

गतिविधियों के सफल व्यवस्थित संचालन हेतु एक दिवसीय सहजकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें पुस्तकालय सुपुदर्गी के संदर्भ में जानकारी दी गई। बालमंच द्वारा पुस्तकालय के सफल संचालन हेतु गतिविधि संचालन इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई।

मासिक बैठक:-

मासिक कार्य-प्रगति मूल्यांकन, गतिविधि संचालन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु योजना व एवं मासिक पाक्षिक योजना तैयार करवायी कि गुणवत्ता बढ़ाने हेतु तथा नवीन दिशा-निर्देश देने के लिए मासिक / पाक्षिक बैठकों का आयोजन किया गया।

बाल पत्रिका निर्माण :-

बच्चों की गतिविधियों व रचनाओं को मंच देने, उनकी कल्पनाओं का लेखन क्षमताओं को प्रोत्साहन कर उन्हें क्रमबन्द्ध करने के लिए त्रैमासिक बाल पत्रिका का निर्माण किया गया जिसमें बच्चों की अच्छी कल्पनाओं, कहानियों तथा लेखों का प्रकाशन किया गया।

अध्यापक प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण:-

अध्यापक व प्रधानाध्यापक एक-एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन से बच्चों पर प्रभाव उनकी बढ़ी क्षमता, रूचि के बारे में अवगत करवाया गया, साथ ही पुस्तकालय संचालन हेतु अगामी कार्य योजना तैयार की गई एवं बाल मंच द्वारा पुस्तकालय में सहयोग हेतु आगामी कार्ययोजना तैयार की गई।

पुस्तकालय प्रभारी एवं बालमंच के साथ बैठक :-

पुस्तकालय के सफल संचालन हेतु बालमंच एवं पुस्तकालय प्रभारी के साथ मासिक बैठक की गई। बालमंच द्वारा किया गया कार्य बैठक में चर्चा की गई। साथ आगामी कार्ययोजना तैयार की गई, व बालमंच सदस्यों को उनके कार्यों की जिम्मेदारी बालमंच द्वारा दी गई। बालमंच द्वारा तैयार किये गये लघु कहानी नाटक का मंचन बैठक में किया गया जिससे अन्य बच्चों का जुड़ाव बढ़ा। पुस्तकों के प्रति रूचि बढ़ी।

विश्व साक्षरता दिवस:-

पुस्तकों तथा शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया जिसमें बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु हस्ताक्षर प्रतियोगिता की गई जिसमें समुदाय के लोगों ने रूचि दिखाई। यह कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में कार्ययोजनानुसार 8सितम्बर से 24 सितम्बर तक मनाया गया।

बाल मेलाः-

बच्चों की रचनाओं को प्रोत्साहित करने तथा बच्चों के मनोबल बढ़ाने हेतु 24 विद्यालयों में बालमेला का आयोजन किया जिसमें बच्चों की गतिविधियों प्रदर्शित की गई। पुस्तकालय पुस्तकों की प्रदशर्नी लगाई गई। तथा समुदाय से आये लोगों को पुस्तकालय भ्रमण करवाया गया। पुस्तकों के प्रति रूचि के बारे में बच्चों द्वारा अवगत करवाया गया।

निरीक्षण

पुस्तकालयों का समय-समय पर रूम-टू-रीड जयपुर तथा परियोजना समन्वय, क्षेत्रिय समन्वयक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, समुदाय नेता, विद्यालय प्रबन्धन समिति व ग्रामीणों द्वारा निरीक्षण किया गया। इसमें प्रमुख रूप से पुस्तक लेन देन, पुस्तकालय के नियमित संचालन, बच्चों की गतिविधियां, बालमंच कार्य आदि गतिविधियां केन्द्रित की गई।

पुस्तकालय सुपुदर्गी :-

पुस्तकालय संचालन हेतु परियोजना द्वारा वित्तिय राशि पूर्ण हो जाने पर विद्यालय को संचालन द्वारा पुस्तकालय पुस्तकों की सुपुदर्गी नवम्बर 2012 में की गई।

उपलब्धियाँ

पुस्तकालय कार्यक्रम से बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि है। उनके पढ़ने व सीखने की प्रक्रिया में सुधार हुआ। बच्चों का मनोबल बढ़ा। पुस्तकों के प्रति रूझान बढ़ा। इस कार्यक्रम से बच्चों की रचनात्मक व सोचने की क्षमता का विकास हुआ। बालमंच द्वारा पुस्तकालय संचालन हेतु अपनी भूमिका का महत्व समझा है।

महिला स्वयं सहायता समूह गठन कार्यक्रम
Self Help Group Formation Programme

पृष्टभूमि :-

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जयपुर के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर के द्वारा अजमेर ज़िले के चार पंचायत समिति श्रीनगर, सिलोरा पिसांगन व भिनाय के गाँवों में स्वयं सहायता समूह गठन परियोजना प्रारम्भ की गई। इस परियोजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन तथा वंचित समुदाय के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें बैंक से जोड़ना और उनकी आजीविका संवर्धन हेतु प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर किया है। क्षेत्र विशेष की सामाजिक समस्याओं जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, बालिका शिक्षा आदि के साथ भी संस्थान द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। यह परियोजना 2006में संचालित की गयी।

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत SHG	उपलब्धि
1	2006	50	50
2	2010	200	200
3	2013	300	150

संस्थान ने 250 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दिया है। 300 स्वयं सहायता समूह बनाने का स्वीकृति जनवरी, 2013 में मिली जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 150 स्वयं सहायता समूह का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें पंचायत समिति – भिनाय, श्रीनगर, सिलोरा, पीसांगन के लगभग 100 गांवों में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा प्रति माह बचत एकत्रित कर समूह का संचालन किया जा रहा है। जिसमें महिलाएं बैठक के माध्यम से विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत हैं।

उद्देश्यः-

- समूहों का क्षमता वर्द्धन करना ताकि वह अपना विकास कर सके तथा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें।
- प्राकृतिक संसाधन से सम्बन्धित गतिविधियों द्वारा महिलाओं की आमदनी का स्तर बढ़ाना जिससे उन्हें व्यक्तिगत एवं सामूहिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना।
- महिलाओं की ग्राम पंचायत एवं सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना।
- परिवार एवं समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- महिलाओं के समूहों को संगठित करने का प्रयास करना एवं महिला मंच का गठन करना।
- महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरुक करके उनके बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना।

रणनीति :-

- गाँव चयन व समान आर्थिक स्तर पर महिलाओं को चयन।
- मासिक बैठकों का आयोजन व बचत के लिए प्रोत्साहन।
- स्वयं सहायता समूह दस्तावेजीकरण।
- विभिन्न योजनाओं के जुड़ाव हेतु प्रेरित करना।
- क्षमतावर्धन हेतु लघु प्रशिक्षण।
- बैंक जुडाव व ऋण उपलब्ध करवाना।

उपलब्धियाँ :-

- समूह का गठन
- बैंक जुड़ाव (बचत खाता + SHG लोन उपलब्ध)
- महिलाओं की समूह के प्रति समझ विकसित करना

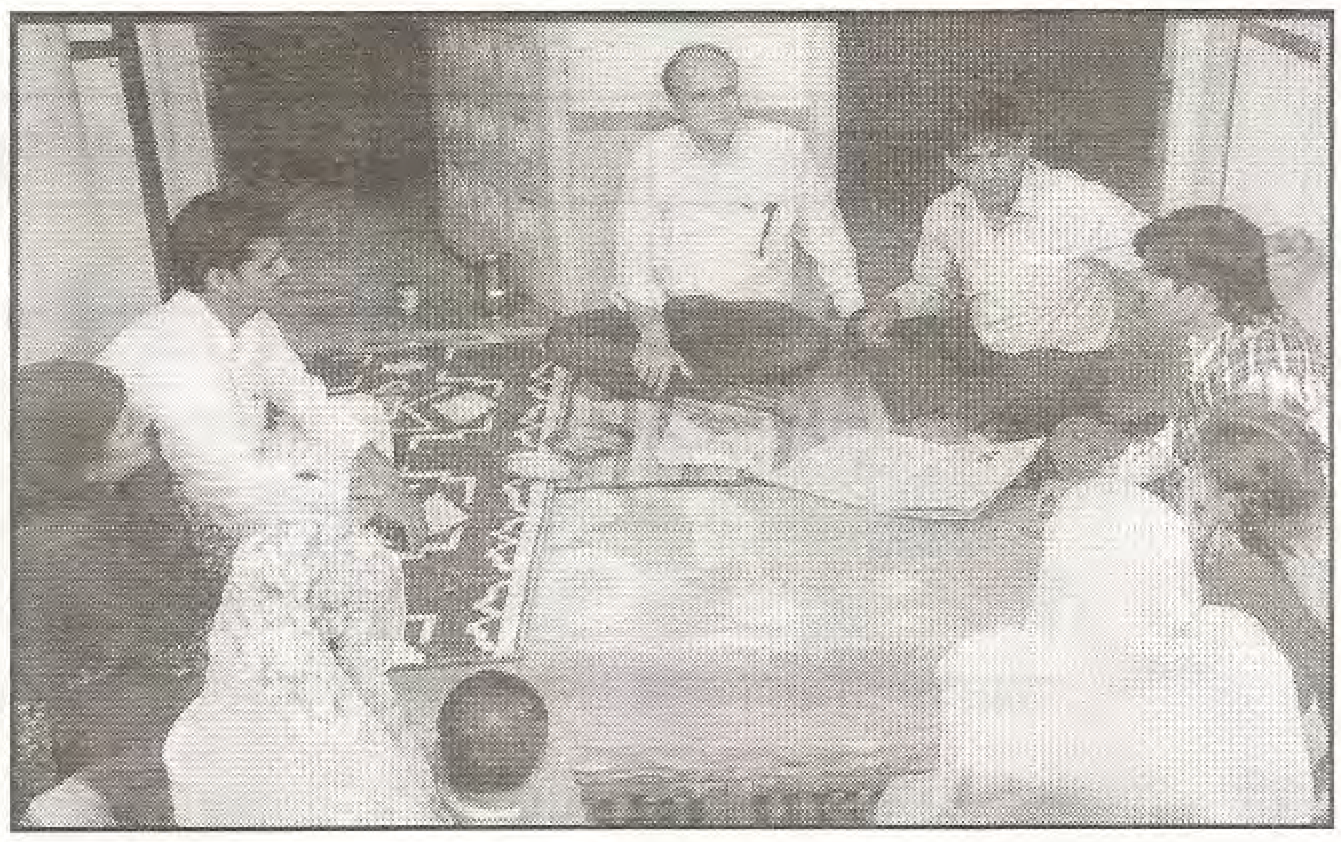

- साहूकार से छुटकारा दिलाना।
- मासिक बचत की आदत विकसित करना।
- आपसी व बैंक लेन-देन में समझ वृद्धि
- आत्मनिर्भरता
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव।

गतिविधियाँ :-

समूह मासिक बैठक :- सभी समूहों की निश्चित दिनांक, स्थान, समय पर बैठक की गई जिसमें महिलाओं द्वारा नियमित बचत जमा करवाई गई व आन्तरिक लेन-देन किया गया।

बैंक जुडावः- सभी समूहों का बैंक से जुड़ाव किया जा रहा है तथा ICICI बैंक से नये व पूराने SHG को लगभग 6करोड़ रुपये ऋण उपलब्ध करवाया गया।

समूह लघु प्रशिक्षण :- समूह सदस्यों को कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई तथा योजना की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा योजनाओं से जुडाव- विधवा पेंशन, पालनहार योजना, जल संग्रहण हेतु फार्म पौन्ड निर्माण, राजस्थान विशेष आवास योजना आदि के बारे में जानकारी दी तथा जुडाव भी करवाया गया।

बकरी पालन आधारित आजीविका संवर्धन परियोजना
Goat Based Livelihood Promotion

पृष्ठभूमि

जमशेद जी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर व द गोट ट्रस्ट-लखनऊ के तकनीकी सहयोग व इब्तिदा अलवर - नोडल के सहयोग से अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाय के तीन ग्राम पंचायत- सोबडी, बुबकिया, लामगरा के 10 गाँवों में बकरी पालन आधारित आजीविका संवर्धन परियोजना का संचालित है। इस परियोजना की अवधि दो वर्ष की है। यह परियोजना स्वयं सहायता समूह के लिए है। यह कार्यक्रम अगस्त, 2012 से कार्यक्षेत्र में संचालित की जा रही है।

परियोजना उद्देश्यः-

- बकरी पालन अभ्यास जैसे चारा खिलाने, प्रसव करवाने तथा स्वास्थ्य देखभाल में परिवर्तन करना।
- बकरियों के दूध में मात्रात्मक तथा गुणवत्ता परिवर्तन।
- बकरी डेयरी को बढ़ावा देना ताकि आयसर्जन गतिविधियाँ स्थापित हो सके।
- महिलाओं की बकरी पालन के संसाधनों तथा आय पर नियंत्रण तथा उनका उपयोग हो सके।
- महिलाओं तथा उनके परिवारों में पोषण का स्तर तथा भोजन सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

- क्षेत्र में बकरियों की मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तक कमी करना।
- नस्ल सुधार करने हेतु बीजु बकरा उपलब्ध करवाना।
- बकरियों का उत्पादन वृद्धि करना।

रणनीति:-

- क्षेत्र सर्वे कर गाँव चयन करना।
- क्षेत्र में बकरी पालक समूह का गठन करना।
- समुदाय प्रशिक्षण करवाना।
- प्रत्येक गाँव में पशु सखी चयन कर प्राथमिक उपचार करवाया।
- समुदाय बीमा योजना लागू करना।
- बीजू बकरा उपलब्ध करवाना।

गतिविधियाँ :-

क्षैत्रिय कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण :- परियोजना अन्तर्गत कार्यकर्ताओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण करवाया गया जिसमें परियोजना संचालन के संदर्भ में समझ विकसित हुई।

पशुसखी चयन व प्रशिक्षण :- परियोजना के प्रत्येक गाँव में स्थानीय महिला का चयन किया गया व प्रशिक्षण करवाया गया जिसके द्वारा बकरी पालकों की बकरी को प्राथमिक उपचार व बकरी पालकों को बैठक के माध्यम से प्रबन्धन व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बीमारियां नही हो।

बेसलाईन सर्वे:- परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक गाँव का बेसलाईन सर्वे किया गया जिसमें आधारभूत आँकड़े प्राप्त किये गये तथा गाँवों का चयन किया गया।

PRA :- परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक गांव का PRA किया गया जिसमें स्थानीय स्तर पर भी आ रही समस्याओं को चिन्हित किया एवं समस्याओं के कारण से अवगत हुए।

बीजू बकरा :- परियोजना कार्यक्षेत्र में बकरियों की नस्ल सुधार व बकरी पालकों की आय वृद्धि हेतु बीजू बकरा का चयन करवाया गया जिसको स्थानीय स्तर पर बकरी पालक समूह सदस्यों की जिम्मेदारी लेकर रखरखाव सुनिश्चित किया गया तथा बकरी सेवा शुक्ल तय किया गया।

बकरी खरीदने हेतु ऋण:- बकरी पालकों की बकरियों का सर्वे के दौरान की गई ग्रेडिंग अनुसार सी व डी ग्रेड की बकरियों को बेचने तथा परियोजना से रिवायलिंग फण्ड से प्रत्येक बकरी पालक जो बकरी खरीदने का इच्छुक हो उसे चार हजार रुपये उपलब्ध करवाकर अच्छी बकरियां खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

बकरी पालकों के समूह गठन:- प्रत्येक गाँव में 20 से 30 सदस्यों के समूह गठन किया गया जिसकी मासिक बैठक निश्चित दिनांक व स्थान पर की गई। साथ ही बैठक में हुए निर्णयों का फॉलोअप किया गया।

डीवार्मिंग :- बकरियों में पेट के कीड़े मारने हेतु बकरी पालक समूह की बकरियों का सम्पूर्ण डीवार्मिंग समयानुसार किया गया जिससे बीमारियों में कमी आई है।

टीकाकरण :- बकरियों में लगने वाले टीकों को समयानुसार लगाये गये ताकि बकरियों में होने वाली बीमारी को कम किया जा सके।

P.P.R. :- बकरियों की अधिकांश मृत्यु P.P.R. से होती है जिसका बकरी पालकों को पता नहीं चलता है और बीमारी से बकरियों के झुण्ड के झुण्ड खाली हो जाते हैं। परियोजना क्षेत्र में 1080 बकरियों के P.P.R. के टीके लगाये गये। यह टीका 3 वर्ष की समयावधि में एक बार लगाया जाता है।

E.T. :- बकरियों की अचानक मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु E.T. टीकाकरण किया जाता है।

उपलब्धियाँ :-

- इस कार्यक्रम से जुड़े 300 परिवारों को आजीविका प्राप्त होना जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में परिवर्तन हुआ।
- इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धि ग्राम स्तर पर ग्राम की महिला को पशुसखी के रूप में चयनित किया गया।
- यह पशुसखियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्तमान में प्राथमिक उपचार कर रही हैं।
- यह कार्यक्रम 10 गांवों में संचालित किया गया और प्रत्येक ग्राम में एक पशुसखी उपचार कर रही है।
- बकरी पालकों के समूह गठित किये गये।
- बकरी पालकों के गठित समूह में बकरी पालन पाठशाला बनायी गयी जिसमें बकरी पालकों को विभिन्न जानकारियों से अवगत करवाया गया।
- डीवार्मिंग तथा टीकाकरण की बकरी पालकों को विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दिलवायी गयी।
- टीकाकरण नियमित हुआ जिससे बकरियों के स्वास्थ्य तथा दूध की गुणवता में भी सुधार हुआ।
- ग्राम स्तर की सभी बकरियों को A,B,C ग्रेडिंग में बाँटा गया और C ग्रेड की बकरियों को स्थान्तरण करने में पशुसखी की मदद ली जा रही है।
- ग्राम में बकरियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- बकरियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

- संस्थान को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभिन्न पुरस्कारों की प्राप्ति।

- जल चेतना, स्वास्थ्य, कृषि योजना, पल्स पोलियो आदि सरकारी अभियानों में अहम भूमिका निभाना।
- ग्राम विकास कमेटी, महिला स्वयं सहायता समूह आदि संगठनों का निर्माण।
- बाल श्रमिक उन्मूलन एवं उनका शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव एवं मासिक स्टाईफण्ड उपलब्ध करवाना।
- बेहतर पशुपालन को बढ़ावा एवं नस्ल सुधार।
- उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग एवं बेहतर पैदावार में बढ़ावा देना।
- साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज प्राप्त करने से छुटकारा दिलाने के लिए अधिक से अधिक महिला समूहों की स्थापना एवं कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाना।
- सुरक्षित प्रसव एवं शिशु मृत्यु दर में कमी।
- किसान क्लब एवं समूह संघ जैसे बड़े मंचों का गठन।
- पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत बच्चों को रचनात्मक कौशल एवं पुस्तक पढ़ने के प्रति प्रेरित करना।
- अकाल राहत के तहत चारा डिपो का संचालन।
- महिला स्वयं सहायता समूह के लिए मार्केट आउटलेट की स्थापना।

संस्था की भावी सोच

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ाना।
- वन संरक्षण एवं पर्यावरण चेतना में जागरूकता लाना।
- जैविक खाद उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना व शेड निर्माण करवाना।
- पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना।
- उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देना व अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- बाल श्रम उन्मूलन एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- पशु संरक्षण एवं नस्ल सुधार हेतु जागरूकता पैदा करना।
- महिलाओं को प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त दोहन की जानकारी देना एवं आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करना
- महिला संगठनों एवं किसान क्लबों का गठन करना।
- जल संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाना।
- पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की आदत का विकास करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन की स्थापना करना।

संस्थान को 2012-2013 में अवार्ड व पुरस्कार

मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित- ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी, अजमेर को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इंटिग्रेटेड काउंसिल फोर सोशियो-इकनोमिक प्रोग्रेस-केरेला के द्वारा 25 नवम्बर, 2012 में बेंगलोर में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान सचिव श्रीमान शंकर सिंह रावत को प्रमाण-पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया था। यह प्रमाण पत्र संस्थान को विविध क्षेत्र में मिली उपलब्धियों और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यें को प्रेरित करने के लिए दिया गया था।

गणतंत्र दिवस पर ज़िला स्तर पर सम्मानित- ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी, अजमेर द्वारा पिछले 15 वर्षें से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक प्रबंधन, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण एवं लघुवित्त पर राजस्थान में प्रशंसनीय कार्य कर सामाजिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है, इसके लिए 26जनवरी, 2013 को अजमेर ज़िला कलेक्टर के द्वारा संस्थान सचिव श्रीमान शंकर सिंह रावत को प्रमाण-पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया था।

सहयोगी संस्थाएं

1. द् हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली
2. रूरल इण्डिया सर्पोटिंग ट्रस्ट, यू.एस.ए.
3. नाबार्ड जयपुर
4. श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
5. सेन्टर फॉर माइक्रोफाईनेन्स, जयपुर
6. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर
7. सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई
8. भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर
9. रूम टू रीड, जयपुर
10. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर
11. अरावली, जयपुर
12. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर केन्द्र
13. जमशेद जी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई
14. द् गोट ट्रस्ट, लखनऊ
15. इब्तिदा, अलवर
16. क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, अजमेर

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

ABRIDGED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2013

EXPENDITURE	AMOUNT ₹	INCOME	AMOUNT ₹
To Project Exp.	53,85,232	By Grant Received	67,95,616
To Other Exp.	10,08,638	By Grant Receivable	1,65,498
To Grant pending Utilisation	9,23,980	By Interest from Bank	34,814
To Surplus	2,52,190	By Other Income	20,612
		By Public Contribution	5,53,500
	75,70,040		75,70,040

In terms of our Audit Report even date attached.

For **DSS & ASSOCIATES**
Chartered Accountants

D.S.S. & ASSOCIATES CA FRN:015683C Chartered Accountants

(S.S. Verma)
Partner
Membership No. : 076981
FRN : 015683 C
Place: Jaipur
Dated:03.06.2013

For **GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN**

सचिव
Secretary
ग्रामीण महिला विकास संस्थान
बूबानी (अजमेर)

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

ABRIDGED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2013

LIABILITIES	AMOUNT ₹	ASSETS	AMOUNT ₹
General Fund	9,00,455	Fixed Assets	6,18,522
Unsecured Loan	48,860	Grant Receivable	1,89,498
Grant Pending Utilisation	9,23,980	Sundry Deposits	54,436
Current Liabilities	54,000	Cash in Hand	46,005
		Cash at Bank	10,18,834
	19,27,295		19,27,295

In terms of our Audit Report even date attached.

For **DSS & ASSOCIATES**
Chartered Accountants

D.S.S. & ASSOCIATES CA FRN:015683C Chartered Accountants

(S.S. Verma)
Partner
Membership No. : 076981
FRN : 015683 C
Place: Jaipur
Dated:03.06.2013

For **GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN**

सचिव
Secretary
ग्रामीण महिला विकास संस्थान
बूबानी (अजमेर)

GMVS

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN (GMVS), BUBANI- KISHANGARH AJMER (RAJ.)

Organizational Structure

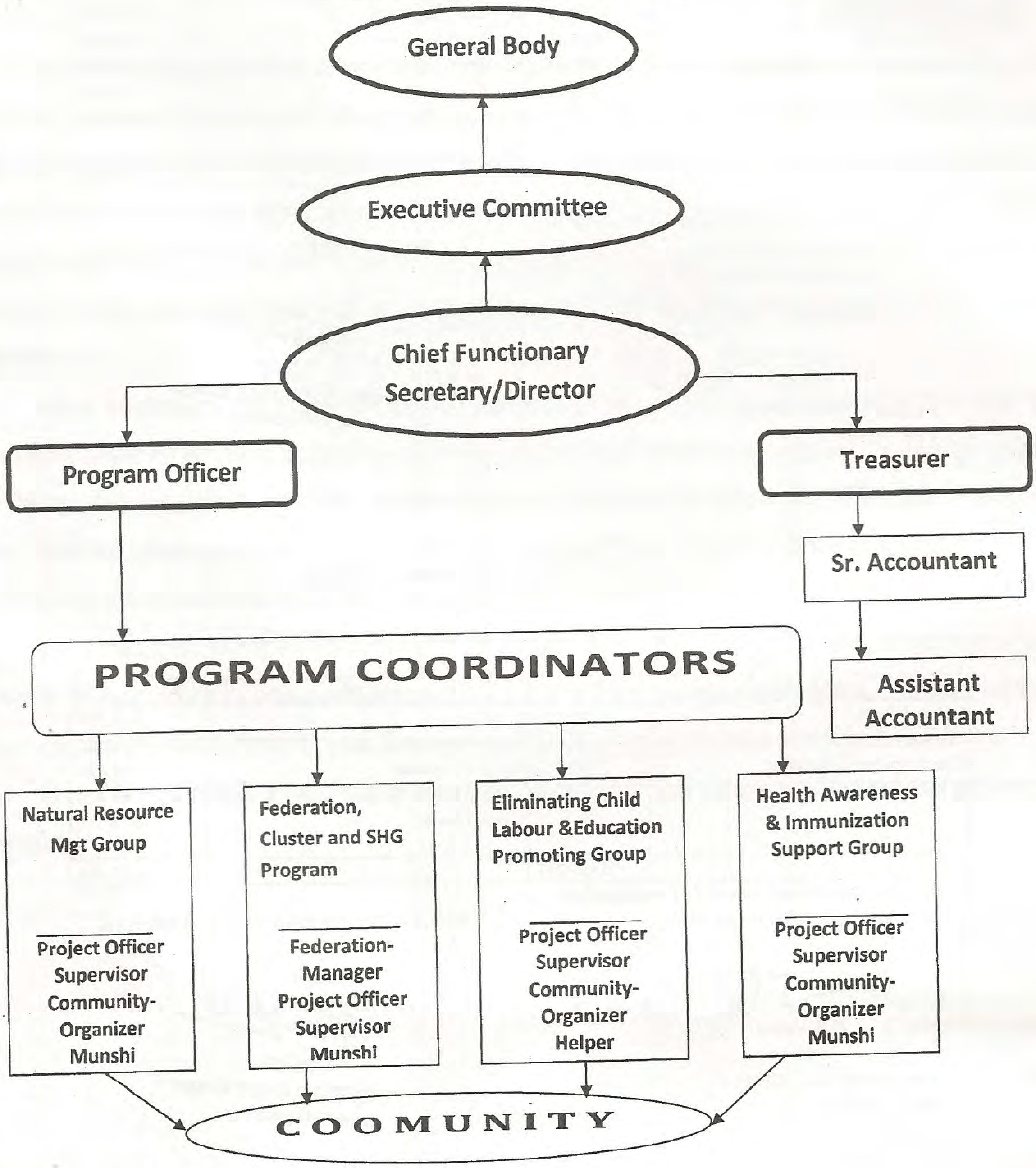

विकास की कतिपय झलकियाँ

द हंस फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई महिलायें

विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, नौलखा में बच्चों को राष्ट्रीय पोषाहार खिलाते हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वयं सहायता समूह की महिला अपने विचार व्यक्त करते हुए।

द हंस फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से सिलाई प्रशिक्षण समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री सुधीर शर्मा, नाबार्ड डीडीएम, अजमेर

पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए कार्यकर्ता

द हंस फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से सिलाई प्रशिक्षण के तहत मशीन व प्रमाण पत्र कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गुणमाला पाटनी सभापति नगर परिषद, किशनगढ़

विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, मुहामी के छात्र-छात्राओं की खेल प्रतियोगिता करवाते हुए।

स्वयं सहायता समूह के उत्पाद का अवलोकन करते हुए आई.सी.आई.सी.आई बैंक के महाप्रबन्धक री अनिल कौल

सेवा की ओर बढ़ते कदम ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

मुख्य कार्यालय

पटाखा फैक्ट्री के पास, राजा रेडी (सुमेर नगर)
मदनगंज–किशनगढ़ – 305 801
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
फ़ोन : +91–1463–245642
मोबाईल – +91–9672979032
ई–मेल– bubanigmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.org.in

GMVS

पंजीयन कार्यालय

मु. पो. बूबानी
वाया–गगवाना – 305 023
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
मोबाईल – +91–9928170035
ई–मेल– gmvsajmer@gmail.com

मुद्रक : प्रगति प्रिन्टर्स, अजमेर. फोन : 2421887